दो माह में टिकट चैकिंग से 29 करोड़ 17 लाख रूपये का राजस्व प्राप्त

गतवर्ष की तुलना में 18 प्रतिशत अधिक राजस्व

जबलपुर। पश्चिम मध्य रेल में प्रमुख मुख्य वाणिज्य प्रबंधक के निर्देशानुसार तीनों मंडलों में वरिष्ठ मंडल वाणिज्य अधिकारियों के नेतृत्व में यात्री गाड़ियों एवं स्टेशनों पर समय-समय पर टिकट जांच अभियान चलाए गए। इन अभियानों के परिणामस्वरूप पश्चिम मध्य रेल ने चालू वित्तीय वर्ष के दो माह में अनबुक्ड लगेज, बिना टिकट यात्रा तथा अनियमित टिकट पर यात्रा करने वाले कुल 3 लाख 83 हजार मामलें पकड़े गए जिनसे अतिरिक्त किराया एवं जुर्माना सहित कुल 29 करोड़ 17 लाख रुपये का राजस्व अर्जित किया गया।

यह राशि पिछले वर्ष इसी अवधि में वसूले गए 24 करोड़ 79 लाख रुपये के जुर्माने की तुलना में 17.68 प्रतिशत अधिक है।

चालू वित्तीय वर्ष के दो माह में मुख्यालय एवं मंडलों पर परफॉरमेंस इस प्रकार रहा :-

मुख्यालय सीसीएम स्क्वाड : मुख्यालय के टिकट निरीक्षकों द्वारा चलाए गए टिकिट जाँच अभियान में बिना टिकिट/अनबुक्ड लगेज/अनियमित टिकिट लेकर यात्रा करने वालों के 6 हजार मामलों से 40 लाख रुपये का राजस्व प्राप्त किया।

जबलपुर मंडल: टिकट निरीक्षकों द्वारा चलाए गए जांच अभियान में 1 लाख 69 हजार मामलों से 14 करोड़ 7 लाख रुपये का राजस्व प्राप्त किया।

भोपाल मंडल: टिकट जांच के दौरान 1 लाख 32 हजार मामलों से 9 करोड़ 53 लाख रुपये का राजस्व प्राप्त किया।

कोटा मंडल: टिकट निरीक्षकों ने अभियान के दौरान 76 हजार मामलों से 5 करोड़ 17 लाख रुपये का राजस्व प्राप्त किया।

रेल प्रशासन यात्रियों से अनुरोध करता है कि बिना टिकट यात्रा न करें। यात्रा से पूर्व उचित टिकट अवश्य लें, ताकि यात्रा के दौरान किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। यात्रियों को सुरक्षित एवं व्यवस्थित यात्रा सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से वाणिज्य विभाग एवं आरपीएफ के समन्वय से पश्चिम मध्य रेल द्वारा ट्रेनों में टिकट चेकिंग अभियान आगे भी निरंतर चलाए जाते रहेंगे।

संख्या : पमरे/मुख्या/मुजसअधि/110/प्रेस विज्ञप्ति/196/2026-27 दिनांक 22.06.2026

सम्माननीय संपादक,
कृपया जनहित में उपरोक्त समाचार अपने लोकप्रिय दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित कर सहयोग प्रदानकरें।

मुख्य जनसंपर्क अधिकारी
पश्चिम मध्य रेल, जबलपुर